

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 185 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX-2/19/30(13)/2017/ दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(ख)(एक) गम्भीर रूप से रोगग्रस्त/विकलांग कार्मिकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी (यथालागु) की गंभीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सामान्य शाखा

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकास खण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री प्रेम चन्द्र सुन्दरयाल	विज्ञान	रा.इ.का. खिरैरीखाल	नैनीडांडा	पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 डोभालवाला (रायपुर) देहरादून	फलित रिक्त पद के प्रति	स्वयं गम्भीर रूप से रोगग्रस्त
2	मोहम्मद वानिस	विज्ञान	रा.उ.मा.वि. मजियाड़ी	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा0उ0मा0वि0 रणसूरा (बहादुराबाद) हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्वयं विकलांगता 90 प्रतिशत
3	श्री राकेश चन्द्र देवली	गणित	रा.इ.का. सेमण्डीधार	जाखणीधार	टिहरी	रा0इ0का0 नरेन्द्रनगर (नरेन्द्रनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	पत्नी की गम्भीर रोगग्रस्तता
4	श्री पंकज कुमार जोशी	विज्ञान	रा.इ.का. नगरासू	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. सभावाला (विकसनगर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	पत्नी की विकलांगता
5	श्री बृजपाल	सा.वि.	रा.इ.का. किमगड़ी	पोखड़ा	पौड़ी गढ़वाल	रा.उ.मा.वि. बसुवाखेड़ी (नारसन) हरिद्वार	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्वयं गम्भीर रूप से रोगग्रस्त


वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।

(4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।

(5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(6) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा मा. न्यायालय के आदेशों की अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3400-30 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 186 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX-2/19/30(13)/ 2017/दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(ख)(दो) (मानसिक रूप से विकसित एवं लाचार बच्चों के माता-पिता के अधार पर) के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

शाखा-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्रीमती कमला चन्द्र	विज्ञान	रा.उ.मा.वि. समाल्टा	कालसी	देहरादून	रा.उ.मा.वि. पश्चिमीवाला (विकासनगर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	पाल्य की मानसिक रूप से विकसितता व विकलांगता

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्ये नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा यदि मा. न्यायालय के आदेशों अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3431-40/3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्ग ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।


(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 187 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX-2/19/30(13)/2017/दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(ख)(घार) उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति/पत्नी द्वारा सामान्य श्रेणी के स्थल/क्षेत्र में तैनाती के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में इस प्रतिबन्ध के साथ स्थानान्तरित किया जाता है कि ऐसी तैनाती के उपरान्त जब भी पति-पत्नी किसी कार्यस्थल पर 05/03 वर्ष अथवा सेवाकाल कुल 10 वर्ष के सेवाकाल सम्बन्धी मानक पूर्ण करेंगे, तब पति-पत्नी, यथा लागू, सामान्य स्थानान्तरण के पात्र हो जायेंगे। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


शाखा-सामान्य

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री वीरपाल सिंह भण्डारी	सा.वि.	रा0इ0का0 थाती धनारी	डुण्डा	उत्तराकाशी	रा0उ0मा0वि0 सूरी (चिन्यालीसौड़) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री अनुसूयाप्रसाद गौड़	गणित	रा0उ0मा0वि0 उत्तरौं	पोखरी	चमोली	रा0इ0का0 सावरीसैण (दशोली) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती बीना गुसाईं	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 सेलवाणी	जौनपुर	टिहरी	रा0इ0का0 खुडबुडा (रायपुर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती मंजू सेमवाल	हिन्दी	रा0इ0का0 बसुकेदार	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	रा0इ0का0 अगस्त्यमुनि (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्री राजेन्द्र प्रसाद डोभाल	व्यायाम	रा0इ0का0 टिपरी	जाखणीधार	टिहरी	रा0इ0का0 ज्ञानसू (चम्बा) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती शकुन्तला चौहान	हिन्दी	रा0उ0मा0वि0 उनाना	देवप्रयाग	टिहरी	रा0इ0का0 भरेटीधार (जाखणीधार) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्री चन्द्रहास ममगाईं	गणित	रा0उ0मा0वि0 पिपाया	कालसी	देहरादून	रा0इ0का0 गुजराडा (रायपुर) देहरादून	फलित रिक्त पद के प्रति
8	श्री महेन्द्र सिंह	अंग्रेजी	रा0इ0का0 कठूली	खिर्सू	पौड़ी	रा0इ0का0 चोपडियू (पाबौं) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
9	श्री संतोष कुमार	गणित	रा0उ0मा0वि0 काण्डई	जयहरीखाल	पौड़ी	रा0इ0का0 कालसी (कालसी) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्री सुरेश चन्द्र चन्द्रवाल	सामान्य	रा0इ0का0 नन्दासैण	गैरसैण	चमोली	रा0उ0मा0वि0 उमट्टा (कर्णप्रयाग) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

11	श्री अनुज चन्द्र	विज्ञान	रा0उ0मा0वि0 हेलंग	जोशीमठ	चमोली	रा0इ0का0 जोशीमठ (जोशीमठ) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती अरुणा डिमरी	कला	रा0उ0मा0वि0 तुल्याडा	चिन्वालीसौड़	उत्तराकाशी	रा0इ0का0 माजरी ग्राण्ट (डोईवाला) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
13	श्री मनोज कुमार भट्ट	सा.वि.	रा0इ0का0 रामपुर न्यालसू	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 तिलकनगर (जखोली) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
14	श्री मनोहर प्रसाद	व्यायाम	रा0इ0का0 डाबरी	रिखणीखाल	पौड़ी	रा0इ0का0 गाडियूं (रिखणीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	श्री कमल किशोर बडोनी	अंग्रेजी	रा0उ0मा0वि0 डेलना	रूड़की	हरिद्वार	रा0उ0उ0मा0वि0 वाणी विहार (रायपुर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
16	श्री सतीश चन्द्र सिमल्टी	सा.वि.	रा0उ0मा0वि0 सुगंवाणी	घाट	चमोली	रा0इ0का0 लंगासू (कर्णप्रयाग) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती मनोजवाला सजवाण	हिन्दी	रा0इ0का0 फाटा	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	रा0इ0का0 नारायणकोटी (ऊखीमठ) रूद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-


- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा यदि मा. न्यायालय के आदेशों अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।


 महावीर सिंह बिष्ट
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3441-80/3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 188 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX-2/19/30(13)/2017/दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(ख)(पांच) विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा कार्मिक तथा वरिष्ठ कार्मिकों के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


शाखा-सामान्य

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती मीनाषा जोशी	अंग्रेजी	रा.इ.का. साकरसैण	पाबौ	पौड़ी	रा.इ.का. खदरी खडकमाफ (डोईवाला) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री उदय प्रताप चन्द	सा.वि.	रा.इ.का. भट्टगांव	भिलगना	टिहरी	रा.इ.का. सौड़ा सिरोली (रायपुर) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	शिक्षा रावत	सा.वि.	रा.उ.मा.वि. उल्ली	पाबौ	पौड़ी	रा.इ.का. पौड़ी (पौड़ी) पौड़ी	फलित रिक्त पद के प्रति
4	श्री लक्ष्मी प्रसाद कुमेड़ी	हिन्दी	रा.इ.का. सहिया	कालसी	देहरादून	रा.इ.का. छिदरवाला (डोईवाला) देहरादून	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(6) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा यदि मा. न्यायालय के आदेशों अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./3481-99/3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैमाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 189 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19
स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX-2/19/30(13)/2017/दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(ख)(छः) दुर्गम कार्यस्थल से दुर्गम कार्यस्थल/क्षेत्र में स्थानान्तरण के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में इस प्रतिबन्ध के साथ स्थानान्तरित किया जाता है कि ठीक पूर्व की तैनाती के स्थल पर ऐसे कार्मिक की भविष्य में पुनः तैनाती 06 वर्ष से पूर्व के अन्तराल पर नहीं की जायेगी। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

शाखा-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री कबेन्द्र सिंह बिष्ट	अंग्रेजी	रा.इ.का. गंगाऊ	थलीसैण	पौड़ी	रा.इ.का. घोडियानाखाल (बीरोखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री सोहन लाल चौहान	सा.वि.	रा.इ.का. आराकोट	मोरी	उत्तरकाशी	रा.इ.का. टिकोची (मोरी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री ईश्वर चन्द्र अवस्थी	व्यायाम	रा.उ.मा.वि. तुलंगा	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. नागजगई (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री राजेन्द्र राम	सा.वि.	रा.इ.का. कुराड़	थराली	चमोली	रा.इ.का. कुलसारी (नारायणबगड़) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
5	श्री खिलाप सिंह बिष्ट	अंग्रेजी	रा.इ.का. हंसकोटी	नारायणबगड़	चमोली	रा.इ.का. नारायणबगड़ (नारायणबगड़) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती सुलोचना तोमर	सा.वि.	रा.इ.का. श्रीकोट	चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	रा.इ.का. गढ़बरसाली (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
7	श्री राकेश वशिष्ठ	गणित	रा.उ.मा.वि. कुजासू	पोखरी	चमोली	रा.इ.का. खेड़ाखाल (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
8	श्री त्रिणविन्दु प्रजापति	गणित	रा.उ.मा.वि. भकड़ा	डुण्डा	उत्तरकाशी	रा.उ.मा.वि. नाल्ड (भटवाड़ी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति


9	श्री तेज प्रकाश	अंग्रेजी	रा.इ.का. गोरशाली	भटवाडी	उत्तरकाशी	रा.इ.का. थाती धनारी (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
10	श्री गौतम लाल	अंग्रेजी	रा.इ.का. किमगड़ी	पोखडा	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. काण्डाजाख (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
11	श्री मूर्तिराम निर्मल	हिन्दी	रा.इ.का. बंगियाल	थौलधार	टिहरी	रा.इ.का. काटल (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
12	श्री राम कुमार शर्मा	सा.वि.	रा.इ.का. मासौं	थलीसैण	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. दिगोलीखाल (नैनीडाण्डा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती मीना खत्री	अंग्रेजी	रा.इ.का. पैतोली	नारायणबगड़	चमोली	रा.इ.का. साकिनखेत (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
14	श्री परशुराम सकलानी	हिन्दी	रा.इ.का. बुढ़ना लस्या	जखोली	रुद्रप्रयाग	रा.उ.मा.वि. बरसिर (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
15	श्री चन्द्र प्रकाश काला	अंग्रेजी	रा.उ.मा.वि. दोगड़ी काण्डई	दशोली	चमोली	रा.इ.का. जयपुर कोल्सौं (कर्णप्रयाग) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
16	श्री रमेश दत्त भट्ट	सा.वि.	रा.उ.मा.वि. संगलाई	भटवाडी	उत्तरकाशी	रा.उ.मा.वि. भडकोट (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती ललिता रौतेला	सा.वि.	रा.इ.का. बरसूडी	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. मणिपुर (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
18	श्री उमेश प्रसाद गोस्वामी	गणित	रा.उ.मा.वि. थेंग	जोशीमठ	चमोली	रा.इ.का. चन्द्रनगर (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
19	श्री किशोरी लाल	सा.वि.	रा.इ.का. श्रीकोट	चिन्धालीसौड़	उत्तरकाशी	रा.इ.का. मंजगांव (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
20	श्री राजवीर सिंह	सा.वि.	रा.इ.का. बनचौरा	चिन्धालीसौड़	उत्तरकाशी	रा.इ.का. पुजारगांव (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
21	श्री हर्ष वर्धन बैजवाल	गणित	रा.उ.मा.वि. विजयसैण	गैरसैण	चमोली	रा.उ.मा.वि. किमाणा दानकोट (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
22	श्री प्रकाश चन्द्र रमोला	सा.वि.	रा.इ.का. जिव्याकोट धार	चिन्धालीसौड़	उत्तरकाशी	रा.इ.का. मुस्तिकसौड़ (भटवाडी) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

23	श्री अशोक कुमार	गणित	रा.उ.मा.वि. नन्दाखाल	कल्जीखाल	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. नौडियालगांव (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
24	श्री रविन्द्र सिंह राणा	गणित	रा.इ.का. गोरशाली	भटवाडी	उत्तरकाशी	रा.इ.का. गढ़बारसाली (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
25	श्रीमती माधवी शर्मा	हिन्दी	रा.इ.का. धददी घण्डियाल	कीर्तिनगर	टिहरी	रा.इ.का. गरखेत (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
26	श्री जमुना प्रसाद उनियाल	गणित	रा.इ.का. श्रीकोट	चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	रा.इ.का. पुजारगांव (डुण्डा) उत्तरकाशी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
27	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी	अंग्रेजी	रा.इ.का. जाखाल	जखोली	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. बावई (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
28	श्री सुरेन्द्र सिंह खत्री	गणित	रा.इ.का. रामाश्रम	जखोली	रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. नागराजाधार चिलेड़ी (कीर्तिनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
29	श्री उमेश चन्द्र जोशी	हिन्दी	रा.इ.का. तोलीसैण मुखेम	प्रतापनगर	टिहरी	रा.इ.का. कांसखेत (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
30	श्री हरेन्द्र सिंह मलिक	गणित	रा.इ.का. दुआ	कर्णप्रयाग	चमोली	रा.उ.मा.वि. जयखाल बोरगांव (पोखडा) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
31	श्री उमेश चन्द्र	व्यायाम	रा.उ.मा.वि. डांगी	कल्जीखाल	पौड़ी	रा.उ.मा.वि. भैडगांव (जयहरीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
32	श्री मस्तान लाल कोठियाल	कला	रा.उ.मा.वि. रैणी	जोशीमठ	चमोली	रा.इ.का. पोखटा (पोखरी) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
33	श्री धीरेन्द्र कुमार खन्तवाल	अंग्रेजी	रा.इ.का. देवीखेत	द्वारीखाल	पौड़ी	रा.इ.का. कुलानीखाल (रिखणीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
34	श्री कर्म सिंह बिहानिया	हिन्दी	रा.इ.का. चोलोसैण	पाबौं	पौड़ी	रा.इ.का. रणाकोट (नरेन्द्रनगर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा यदि मा. न्यायालय के आदेशों अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।



महावीर सिंह बट्ट
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3500-75/3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ 190 /3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX-2/19/30(13)/2017/दिनांक 17.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को अअनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की धारा 17(ख)(सात) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


शाखा-सामान्य

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री महेन्द्र सिंह गुसाईं	सा.वि.	रा.इ.का. लैन्सडॉन	जयहरीखाल	पौड़ी	रा.इ.का. बूचाखाल (जयहरीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	श्री आशीष डिमरी	हिन्दी	रा.उ.मा.वि. तूना	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	रा.इ.का. म्याणी (जौनपुर) टिहरी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	श्री धीरेन्द्र कुमार	अंग्रेजी	रा.इ.का. कोट	कोट	पौड़ी	रा.इ.का. खिर्सू (खिर्सू) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
4	श्री सुभाष कुमार	सा.वि.	रा.इ.का. कोट	कोट	पौड़ी	रा.इ.का. धारखोला (खिर्सू) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकायें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


(6) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा यदि मा. न्यायालय के आदेशों अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./ 3576-99/3क(2)/स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैयारी विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।


महावीर सिंह बिष्ट
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।